

FORM NO. 111

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द, जिला भीलवाड़ा

देवीलाल बनाम.....धीसी

किस्म मुकदमा.....धारा 53

RTA

मु.नं. 88/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए																																								
03.01.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। PD पालना रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। PD पालना रिपोर्ट का अवलोकन वकील वादी को करवाया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक डिक्री पालना करवाया जाना जाहिर किया है। प्रकरण में वकील वादी द्वारा अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। वकील वादी को सुनने व पालना रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव P.D. स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिव किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस डिक्री का जूज हिस्सा रहेगा</p> <p>1. देवीलाल पुत्र शंकरलाल ढोली सा.देह हाल मुकाम लाम्बिया कला तहसील बनेडा -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मीजा</th> <th>खाता संख्या</th> <th>आराजी नम्बर</th> <th>रकबा</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>करियाला</td> <td>26</td> <td>161/1</td> <td>0.09</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>172/1</td> <td>0.13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>योग</td> <td></td> <td>किता 2</td> <td>0.22</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. धीसी पुत्री हजारी 177/310 नारायण पुत्र गिरधारी 133/310 बलाई सा.देह -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मीजा</th> <th>खाता संख्या</th> <th>आराजी नम्बर</th> <th>रकबा</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>करियाला</td> <td>26</td> <td>161/2</td> <td>0.09</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>172/2</td> <td>0.22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>योग</td> <td></td> <td>किता 2</td> <td>0.31</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।</p>	मीजा	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	लगान	करियाला	26	161/1	0.09				172/1	0.13		योग		किता 2	0.22		मीजा	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	लगान	करियाला	26	161/2	0.09				172/2	0.22		योग		किता 2	0.31		
मीजा	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	लगान																																						
करियाला	26	161/1	0.09																																							
		172/1	0.13																																							
योग		किता 2	0.22																																							
मीजा	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	लगान																																						
करियाला	26	161/2	0.09																																							
		172/2	0.22																																							
योग		किता 2	0.31																																							

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर (S.D.O.) आसीन्द



मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), आसीन्द बईजलास संदीप कुमार आर.ए.एस.

G.C.M.S. प्रकरण संख्या	2019/01994
मेन्सूअल प्रकरण संख्या	88/2019
दावा प्रस्तुत करने की दिनांक	15.11.2019
अन्तिम डिक्री दिनांक	03.01.2022

देबीलाल बनाम घीसी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादीगण की और से एडवोकेट श्री राधेश्याम पारीक एवं प्रतिवादीगण की और से एडवोकेट एक तरफा कार्यवाही की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 03.01.2022 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है, और विभाजन अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है :- 1. देबीलाल पुत्र शंकरलाल ढोली सा.देह हाल मुकाम लाम्बिया कला तहसील बनेडा -

ग्राम	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
करियाला	26	161/1	0.09	
		172/1	0.13	
योग		किता 2	0.22	

2. घीसी पुत्री हजारी 177/310 नारायण पुत्र गिरधारी 133/310 बलाई सा.देह -

ग्राम	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
करियाला	26	161/2	0.09	
		172/2	0.22	
योग		किता 2	0.31	

यह आज दिनांक 03.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।



वाद के खर्चे

उपरवण्ड अधिकारी
आसीन्द-भीलवाडा

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
1. वाद-पत्र के लिए स्टाम्प	1	-	1. शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	-	-
2. शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	1	-	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	-	-
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	-	-	3. प्लीडर की फीस	-	-
4. रूपयों पर प्लीडर की फीस	-	-	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-	5. आदेशिका की तामील	-	-
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	1	-	6. कमिश्नर की फीस	-	-
7. आदेशिका की तामील	-	-			
योग	3	-	योग		-

उपरवण्ड अधिकारी
आसीन्द-भीलवाडा

मूल वाद मे प्राथमिक डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द बईजलास सी.एल.शर्मा , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 88/2019

अनवान

1. श्री देबीलाल पुत्र शंकरलाल ढोली नि. लाम्बिया कला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

- वादी

बनाम

- 1- घीसी पुत्री हजारी बलाई नि. करियाला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2. श्री नारायण पुत्र गिरधारी बलाई नि. करियाला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3. बैंक आफ बड़ौदा शाखा दौलतगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक दौलतगढ़ तहसील आसीन्द
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा - प्रतिवादीगण


वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री विजयकुमार टेलर एवं प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट श्री एक तरफा कार्यवाही की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 01.02.2021 को अदालत के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिकी दी जाती है कि:-

दावा वादीगण स्वीकार कर प्राथमिक डिकी किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि में दर्ज खातेदार काश्तकारान के मध्य उनके हक हिस्से व कब्जे के अनुसार आराजी में आने-जाने के रास्ते आदि को शामलाती छोड़ते हुये भूमि मय लगान के विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है -

नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा
करियाला	2074-77	26	161	0.18
			172	0.35
		योग	किता 2	0.53

इसके वाद के खर्चे लेखे-xxx-रूपये की राशि आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर-xxx-प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित-xxx-द्वारा-xxx-को दी जाये ।

यह आज तारीख 01.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


सी.एल.शर्मा
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / कोर्ट / पी.डी./2021/ / /

दिनांक 17.3.2021

प्रतिलिपी:- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार भूमि व लगान आदि का विभाजन कराया जाकर विभाजन प्रस्ताव उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जाकर नक्शा ट्रेस 2 प्रतियों में एवं निर्धारित प्रपत्र में मौका पर्चा के इस न्यायालय में आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.03.2021 से पूर्व आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

